राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(45)ग्रावि/ग्रुप–5/आवास/विविध/ 2015–16 जयपुर, दिनांक 15 दिसम्बर, 2015

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद् (ग्राविप्र),
समस्त, राजस्थान।

विषय :– ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के यहॉ इन्दिरा आवास योजना की प्रस्तावित राज्य स्तरीय कॉर्डिनेटरर्स की बैठक दिनांक 11.12.2015 के Agenda कम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उक्त बैठक एजेन्डा बिन्दुओं में प्राप्त निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित किये जाने के मध्येनजर निम्नानुसार कार्यवाही की जावे :–

1. इन्दिरा आवास योजना वर्ष 2015–16 की प्रथम किश्त का हस्तानांतरण दिनांक 15.12.2015 तक सुनिश्चित किया जावे, इस सम्बंध में पूर्व में भी आपको निर्देशित कर आगाह किया जा चुका है। इसकी पालना को गम्भीरता से लेवें अन्यथा भारत सरकार द्वारा राज्य के लक्ष्यों में कटौती हेतु आपको उत्तरदायी मानते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
2. पीएफएमएस के माध्यम से हस्तानान्तरित राशि यदि आवास साफ्ट पर 15 दिवस पश्चात भी लाभार्थियों के खातें में जमा नही दर्शाई गई हो तो ऐसे प्रकरणों को विषय–"आवास सॉफ्ट पर हस्तानांरित किश्त प्रदर्शित नही हो रही है" अंकित कर पत्र प्रेषित करें।
3. राज्य की प्रगति समीक्षा अवधि तक 45648 दर्शाई गई है, जो निर्धारित लक्ष्य की 50 प्रतिशत से भी कम हैं, जो खेद जनक है। दिनांक 15.12.2015 तक शत–प्रतिशत प्रगति सुनिश्चित करें।
4. गूगल प्लेस्टोर पर मोबाईल एप्लीकेशन IAY Mobile App के नाम से उपलब्ध है। योजना का कार्य देख रहे कार्मिको/अधिकारियों को इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर आवास निरीक्षण में उपयोग लेने हेतु निर्देशित करावें।
5. राज्य के पास भारत सरकार द्वारा प्रेषित प्रगति के अनुसार 420.00 करोड रूपये का दिनांक 01.04. 2015 के ऑपनिग बैलेंस को मिलाकर कुल उपलब्ध राशि 694.20 करोड रूपये बताई गई है, जिसके विरूद्ध व्यय 260.23 करोड रूपये बताया गया है, जो कि उपलब्ध राशि का 37.48 प्रतिशत है, जो निर्धारित 60 प्रतिशत से बहुत कम है। अतः दिनांक 20.12.2015 तक 60 प्रतिशत व्यय कर द्वितीय किश्त के प्रस्ताव भिजवाना सुनिश्चित करे।
6. राज्य के पास उपलब्ध राशि का 60 प्रतिशत व्यय सुनिश्चित करने हेतु पूर्व निर्देशानुसार वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 की द्वितीय किश्त हस्तांतरण को शीघ्र सम्पन्न कराया जावे। यहॉ उल्लेखनीय है, कि भारत सरकार के निर्देशानुसार अवशेष राशि को निकट भविष्य में केन्द्रीकृत खाते में जमा कराया जाना है। ऐसी परिस्थिति में पूर्व के वर्षो में स्वीकृत आवासों जिनके बैंक खाते सीबीएस आधारित बैंकों में नही होगें, राशि हस्तांतरण PFMS के माध्यम से नही हो पायेगा। इस परिस्थिति से बचने हेतु वर्ष 2014–15 तक के स्वीकृत सभी आवासों को दिनांक 31.03.2016 पूर्ण कराना सुनिश्चित करावें। इसकी सधन समीक्षा करे एवं दिनांक 31.03.2016 तक को नही हो सकने वाले आवासों के लाभार्थियों के बैंक खाते सीबीएस आधारित बैंकों में हस्तांतरित कराने की भी कार्ययोजना बनावे।
7. वर्ष 2015–16 के ऑपनिग बैलेंस व अन्य प्राप्तियों के सम्बंध में विस्तृत सूचना में साक्ष्य प्रेषित करे ताकि यदि कोई त्रुटि हो तो, भारत सरकार के स्तर से शुद्धिकरण करवाया जा सके।

8. प्रशासनिक व्यय को आवास सॉफ्ट पर दर्ज कराया जाना सुनिश्चित करावें, दिनांक 01.04.2016 से इसके व्यय को भी PFMS के माध्यम से किया जाना भारत सरकार द्वारा अनिवार्य किया जा रहा है।
9. भारत सरकार के निर्देशों की अनुपालन में राजमिस्त्री प्रशिक्षण आयोजित करवाये जाने है, इस बाबत आरएसएलडीसी को नाम उपलब्ध कराने कराने हेतु सभी जिलों से नाम चाहें गये थें जो अधिकांश जिलों से अप्राप्त हैं। इस क्रम में निर्देश है कि पण्डित दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास कार्यक्रम हेतु आयोजित विशेष ग्राम सभा दिनांक 09.12.2015 में प्राप्त प्रार्थना पत्रों का परिक्षण कर, इनको ध्यान में रखते हुए अन्तिम सूची आरएसएलडीसी झालाना संस्थानिक क्षेत्र जयपुर, उनके द्वारा निर्देशित संस्थान एवं विभाग को दिनांक 20.12.2015 तक भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 01.01.2015 से आयोजित किये जाने प्रस्तावित हैं ।
10. इन्दिरा आवास योजना से सम्बंधित ऑडिट पैरा की अनुपालना भिजवाया जाना सुनिश्चित किया जावे।
11. ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त सचिव (आवास), द्वारा योजना के लाभार्थियों को बैंकों के माध्यम से अतिरिक्त राशि के ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया है। इस क्रम में जिले के अग्रणी बैंक के साथ जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित कर कार्ययोजना तैयार की जावे एंव जिलें में इस बाबत लक्ष्य निर्धारित किये जावें।
12. पूर्व निर्देशों के अनुसार अनिवार्य रूप से यथासम्भव महिलाओं के नाम से स्वीकृतियॉ जारी की जावे।
13. सामाजिक अकेक्षण एवं आईईसी गतिविधियों पर होने वाले व्यय को आवास साफ्ट पर इन्द्राज कराना सुनिश्चित करे, इसकी सुविधा आवास साफ्ट पर जिला व व्लॉक स्तर से लॉगइन पर उपलब्ध है।
14. आवास निर्माण में प्रयुक्त पारम्परिक सामग्रियों की बढती हुई लागत व उनके निर्माण में अधिक ऊर्जा उपयोग के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से स्थानीय स्तर पर उपलब्ध वैकल्पिक सामग्री व सामग्री निर्माताओं को प्रौत्साहित करने के उद्देश्य से कार्ययोजना बनाकर प्रेषित की जावें। इस सम्बंध में भारत सरकार से प्राप्त नोट की प्रति संलग्न कर अपेक्षा है कि इसके क्रम में सुझाव/टिप्पणी विभाग को भिजवाई जावे।

(राजीव सिंह ठाकुर)
शासन सचिव, ग्रावि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचानार्थ प्रेषित हैः–

1. संयुक्त सचिव (आवास), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रावि एंव पंरावि, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग जयपुर।
4. श्री बी.सी.बेहरा, निदेशक (ग्रा.आ.), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5. जिला कलेक्टर, समस्त राजस्थान।
6. परियोजना निदेशक एवं उप सचिव (मो एंव मू) ग्राविवि. को विभागीय वेब साईट पर अपलोड कराने हेतु।

अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)